फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

जन्नत बीबी बनाम अलाजुवाया (फौत) रफीक आदि
किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए प्रकरण संख्याः–252/2023 (GCMS No. 2023/299)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 1 डी.बी.एन.–ए की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 95/57 के पत्थर संख्या 35/271 (52) के किला नं. 21/0.253, 22/1 में 0.076 हैक्टर कुल 0.329 हैक्टर नहरी व पत्थर संख्या 35/272 (55) के किला नं. 1/0.050 हैक्टर नहरी व पत्थर संख्या 36/272 (54) के कि.नं. 1–2 की 0.506 हैक्टर, 3/0.240 हैक्टर, 4/0.177, 5/0.101, 9/0.038, 10/0.114 कुल 1.176 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 1.55 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थीया के नाम 365/1555 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैर प्रकरण संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण ने आपस में घरू बंटवारा के काश्त करते आ रहें है। अप्रार्थीगण उक्त जैरवाद रकबा को खाता विभाजन से पूर्व ही बेचान करने पर उतारू है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जावें। वकील अप्रार्थी संख्या–1/1–1/2–5–6 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा के आधार पर काश्त करते आ रहें है तथा इसी अनुसार ही विभाजन किया जाना चाहिए। प्रार्थीया ने जानबुझकर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त समस्त खाता पर स्थगन आदेश जारी करवाया गया है। जो विधि के अनुकुल नही है। किसी भी सहकाश्तकार के हक व हिस्सा को बिना पक्षकार की सुनवाई किये बिना एकतरफा स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। संयुक्त खाता की भूमि में समस्त काश्तकारों का हिस्सा कानुन सम्मत है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता का है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रार्थीया ने प्रस्तुत नही किया है। ना ही प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया का साबित होता है। जमाबंदी में अंकित खातेदार को बिना पर्याप्त कारण स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता हे। अतः उक्त प्रार्थना पत्र साबित नही होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 08.11.2023 को जारी टी.आई. भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.07 16:48:02 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)